राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांकः प.5(4)आरपीजी/एएस/2020 जयपुर, दिनांकः– 19/4/2022

–:आदेशः–

विषयः– जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाकर निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्थाः–

माह के **प्रथम गुरूवार** तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर **"पंचायत स्तरीय जनसुनवाई"** का आयोजन किया जावेगा। इस शिविर में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों यथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर, जन स्वा. अभि. विभाग/विद्युत विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/चिकित्सा विभाग के पंचायत स्तरीय कार्मिकों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा।

उक्त शिविरों के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति व उपखण्ड स्तर के समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा चक्रिय क्रम में ग्राम पंचायत के शिविरों में भाग लिया जायेगा तथा निरंतर उक्त शिविरों का पर्यवेक्षण व Monitoring की जावेगी।

उक्त शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनायें आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।

जन सुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व चिन्हिकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी जाये। चिन्हित प्रकरणों के संबंध में पूर्व तैयारी आवश्यक जांच/तथ्यात्मक परीक्षण, सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सकें तथा जनसुनवाई के समय का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकें।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से निस्तारण किया जावें तथा उपखण्ड व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उक्त प्रकरणों की समीक्षा की जावें। उक्त पोर्टल पर दर्ज ऐसे समस्त प्रकरणों का समाधान एक से अधिक विभागों के समन्वय से किया जाना हो, ऐसे समस्त प्रकरणों का चयन जनसुनवाई से पूर्व में ही किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाकर आमजन को राहत प्रदान की जावें।

ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्त प्रकरणों की सूची यथासमय बनाई जाकर ग्राम स्तर पर नामित एक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संधारित की जावेंगी तथा अगली जनसुनवाई के दौरान पूर्व के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा व निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से किया जावें।

ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को प्रेषित की जावेंगी।

2. उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्थाः–

माह के **द्वितीय गुरूवार** तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को समस्त उपखण्डों पर **"उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई"** का आयोजन किया जावेगा। इस शिविर में उपखण्ड स्तर के अधिकारियों यथा उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति, जन स्वा.अभि. विभाग/विद्युत विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/चिकित्सा विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा।

उक्त शिविरों के दौरान जिला कलक्टर व जिला स्तर के समस्त विभागों के अधिकारिगण द्वारा उपखण्ड स्तर के शिविरों में भाग लिया जायेगा तथा निरंतर उक्त शिविरों का पर्यवेक्षण व Monitoring की जावेगी।

उक्त शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनायें आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।

जन सुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व में चिन्हीकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी जाये। चिन्हित प्रकरणों के संबंध मे पूर्व तैयारी आवश्यक जांच/तथ्यात्मक परीक्षण, सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सकें तथा जनसुनवाई के समय का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकें।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का उपखण्ड स्तर पर नियमित रूप से निस्तारण किया जावें तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित उक्त प्रकरणों की समीक्षा की जावें। उक्त पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जिनका समाधान एक से अधिक विभागों के समन्वय से किया जाना हो, ऐसे समस्त प्रकरणों का चयन जनसुनवाई से पूर्व में ही किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाकर आमजन को राहत प्रदान की जावें। उपखण्ड स्तर पर राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों, जिनका निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है किन्तु जिनमें प्रार्थी संतुष्ट नही है, ऐसे प्रकरणों का संवेदनशीलतापूर्वक निस्तारण उपखण्ड अधिकारी या उनके द्वारा नामित अन्य विभाग के उपखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जावेंगा।

उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्त प्रकरणों की सूची यथासमय बनाई जाकर उपखण्ड स्तर पर नामित एक अधिकारी द्वारा संधारित की जावेंगी तथा अगली जनसुनवाई के दौरान पूर्व में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा व निस्तारण त्वरित रूप से किया जावेगा।

उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला स्तर पर जिला कलक्टर या उनकें द्वारा नामित अधिकारियों को प्रेषित की जावेंगी।

3. जिला स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्थाः–

माह के **तृतीय गुरूवार** तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को समस्त जिलों पर **"जिला स्तरीय जनसुनवाई"** का आयोजन किया जावेंगा। इस शिविर में जिला स्तर के अधिकारियों यथा जिला कलक्टर व जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा। उक्त जनसुनवाई में जिले से सम्बन्धित माननीय सांसद एवं माननीय विधायकगण/जिला प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावेगा।

उक्त शिविरों का संभागीय आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण किया जावेगा।

उक्त शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थय, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, योजनायें आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।

जन सुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व में चिन्हिकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी जाये। चिन्हित प्रकरणों के संबंध में पूर्व तैयारी आवश्यक जांच/तथ्यात्मक परीक्षण, सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सकें तथा जनसुनवाई के समय का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकें।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का जिला स्तर पर नियमित रूप से निस्तारण किया जावें तथा संभाग स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित उक्त प्रकरणों की समीक्षा की जावें। उक्त पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जिनका समाधान एक से अधिक विभागों के समन्वय से किया जाना हो, ऐसे समस्त प्रकरणों का चयन जनसुनवाई से पूर्व में ही किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाकर आमजन को राहत प्रदान की जावें। जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों, जिनका निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर या उपखण्ड स्तर पर किया जा चुका है किन्तु जिनमें प्रार्थी संतुष्ट नही है, ऐसे प्रकरणों का संवेदनशीलतापूर्वक निस्तारण जिला कलक्टर या उनके द्वारा नामित अन्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जावेंगा।

जिला स्तर पर ऐसे प्रकरण भी प्राप्त हो सकते है, जिनका निस्तारण ग्राम पंचायत या उपखण्ड के स्तर से किया जाना था, किन्तु किन्हीं कारणवश निस्तारण संभव नही हो सका। ऐसे प्रकरणों का चयन जिला स्तर पर जनसुनवाई से पूर्व में ही किया जावेंगा तथा ग्राम पंचायत स्तर तथा उपखण्ड स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को जिला स्तर पर बुलवाया जाकर/वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करवाया जावेंगा।

जिला स्तर पर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्त प्रकरणों की सूची यथासमय बनाई जाकर जिला स्तर पर नामित एक अधिकारी द्वारा संधारित की जावेंगी तथा अगली जनसुनवाई के दौरान पूर्व में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित रूप से किया जावें।

जिला स्तर पर जनसुनवाई की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य सरकार को प्रेषित की जावेंगी।

जिला स्तर पर ऐसे प्रकरण भी प्राप्त हो सकते है, जिन पर कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर ही संभव हो सकती है। जिला कलक्टर द्वारा ऐसे प्रकरणों की पृथक से सूची तैयार की जाकर प्रत्येक शिविर पश्चात राज्य सरकार को मय टिप्पणी प्रेषित की जावेंगी।

4. जनसुनवाई के सम्बन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण व्यवस्थाः—

ग्राम पंचायत, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर उपरोक्तानुसार आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों का ,जिला कलक्टर व संभागीय आयुक्त के स्तर पर गहन/सघन पर्यवेक्षण किया जायेगाः—

A. जिला कलक्टर स्तर पर पर्यवेक्षणः—

जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम 2 ग्राम पंचायत स्तरीय एवं 2 उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई शिविरों में भाग लेंगे तथा उनकी मासिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप JS-1 में प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

जिला कलक्टर द्वारा जिले में सभी स्तरों पर आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का व्यवस्थित रूप से दर्ज किये जाने तथा आवेदक को रसीद दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा सभी परिवेदनाओं को जनसुनवाई से 03 दिवस के भीतर संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाने की व्यवस्था की जावेगी।

ग्राम पंचायत, उपखण्ड स्तर व जिला स्तर की जनसुनवाई हेतु स्थान का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा किया जाकर तत्संबंधी आदेश संबंधित सभी अधिकारियों को यथासमय जारी किये जायेंगें तथा आमजन की जानकारी हेतु जनसुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

प्रत्येक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। ऐसे नोडल अधिकारीगण द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहकर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा। सहायक निदेशक लोक सेवाएं जिले में जनसुनवाई के जिला स्तरीय समन्वयक का कार्य करेंगे।

जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्रस्तुत होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पृथक से दर्ज किया जाकर उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित संबंधित जिला कलक्टर को एवं जिला कलक्टर द्वारा अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

जिला कलक्टर ,का यह दायित्व होगा कि जनसुनवाई में प्रस्तुत होने वाली आमजन की परिवेदनाओं का संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलतापूर्वक त्वरित समाधान हो तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जावे।

B. संभागीय आयुक्त के स्तर पर पर्यवेक्षणः—

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2020 के द्वारा संभागीय आयुक्तों को अधीनस्थ जिलों में राज्य कार्यों के पर्यवेक्षण का विशेष दायित्व सौंपा गया है। संभागीय

आयुक्त द्वारा प्रत्येंक माह संभाग के सभी जिलो का सघन पर्यवेक्षण/दौरा किया जाता है। अत: संभागीय आयुक्त संभाग में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय/उपखंड स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेगें तथा माह में कम से कम 01 जिला स्तरीय, 2 उपखण्ड स्तरीय व 2 ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों का निरीक्षण करेगें।

संभागीय आयुक्त का यह दायित्व होगा कि संभाग के सभी जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो तथा अधिकारीगण द्वारा परिवादियों की परिवेदनाओं का संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित समाधान किया जावें। इस उद्देश्य से संभागीय आयुक्त द्वारा संभाग के सभी जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम का नियमित रूप से प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगां संबंधित संभाग में जनसुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप JS-2 में प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को भिजवाई जायेगी।

C. राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण:--

राज्य स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम का नोडल विभाग जन अभियोग निराकरण विभाग होगा। विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजित होने वाली त्रिस्तरीय जनसुनवाई की प्रभावी Monitoring की जावेगी। विभाग द्वारा संभागीय आयुक्तगण तथा ज़िला कलक्टर्स से प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाकर प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

निदेशक, लोक सेवायें एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वयक होंगे।

अधिकारीगण के स्तर पर कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई की व्यवस्था:--

जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, विकास अधिकारी पंचायत समिति आदि अधिकारिगण प्रत्येक कार्य दिवस को अपने कार्यालय में उपस्थित होने वाले आमजन/परिवादी से मिलेंगे तथा जनसुनवाई कर उपस्थित लोगों के प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

जनसुनवाई की कार्यवाही में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 तथा राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

आज्ञा से,

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव/विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्यमंत्रीगण।
4. निजी सहायक, अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
6. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल।
12. अति. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करावें।
13. प्रबन्धक निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

जन सुनवाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(जिला कलक्टर द्वारा)

JS-1

जिला---------- माह----------

1. जिला स्तरीय सुनवाई

क्र. सं	जनसुनवाई आयोजन की दिनांक एवं स्थान	विभाग	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			उपस्थित प्रमुख अधिकारीगण
			प्राप्त	निस्तारित	शेष	

2. उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई

क्र. सं	जिला	उपखण्ड	सुनवाई का स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			लंबित में प्रमुख 5 विभागों का संख्या सहित विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

3. ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई

क्र. सं	जिला	कुल ग्राम पंचायत	सुनवाई स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			लंबित में प्रमुख 5 विभागों का संख्या सहित विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

4. जिला कलक्टर द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के किए गए निरीक्षण का विवरण

क.स	स्तर	निरीक्षण स्थान	दिनांक	संक्षिप्त विवरण
1.	उपखण्ड			
2.	ग्राम पंचायत			

जनसुनवाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(संभागीय आयुक्त द्वारा)

JS-2

संभाग——————— माह———————

1. जिला स्तरीय सुनवाई

क.सं	जनसुनवाई आयोजन की दिनांक एवं स्थान	विभाग	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			उपस्थित प्रमुख अधिकारीगण
			प्राप्त	निस्तारित	शेष	

2 उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई

क.सं	जिला	उपखण्ड	सुनवाई का स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			उपखण्ड जिनमें सुनवाई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ का विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

3. ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई

क.सं	जिला	कुल ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें सुनवाई आयोजित की गई ।	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाए			लंबित में प्रमुख 5 विभागों की संख्या सहित विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

4. संभागीय आयुक्त द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के किए गए निरीक्षण का विवरण

क.सं	स्तर	निरीक्षण स्थान	दिनांक	संक्षिप्त टिप्पणी
1.	जिला			
2.	उपखण्ड			
3.	ग्राम पंचायत			

5. जनसुनवाई के बारे में समग्र टिप्पणी

सुधार हेतु संभागीय आयुक्त द्वारा जिला प्रशासन को दिए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण	विशेष उपलब्धियों का विवरण	सुझाव यदि कोई हो तो